प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022..............
प्र0सू0रि0 सं. ....428/22............ दिनांक ....3/11/2022............

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम.......................................धारायें.......................................
(iii) अधिनियम....................................... धारायें.......................................
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या............44............ समय ....2:30 pm..........
(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :– 02.11.2022 समय ....12.08 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं.......................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 75 किलोमीटर
(ब) पता :– नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं।.......................................
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री महावीर प्रसाद ....
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री भागुराम.......................................
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 46 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी ग्राम चारणवासी थाना सदर झुंझुनूं ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी श्री सतवीरसिंह, जाति जाट, उम्र–30 वर्ष, निवासी हेमन्तपुरा भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा जिला झुंझुनूं हाल फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 3,000 रूपये.......................................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 28.10.2022 को समय करीब 9.09 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय से जरिये व्हाट्अप नम्बरों से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही करने तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर सुझाये जाने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9694899999 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8432168576 पर समय करीब 9.20 एएम पर कॉल किया तो परिवादी ने अपना नाम महावीर प्रसाद बताते हुये नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं के ईओ एवं लिपिक द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना बताया, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 28.10.2022 को समय 11.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रामनिवास कानि., श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये सरकारी वाहन मय कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, कार्यालय का लैपटॉप हमरा लेकर सीकर से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क करता हुआ नगरपरिषद झुंझुनूं के पास पहूँचा जहॉ परिवादी मौजूद मिला। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को साथ लेते हुये समय 12.10 पीएम पर कस्बा बगड़ नगरपालिका के पास पहूँचा।

कार्यवाही पुलिस

28.10.2022

12.10 पीएम इस समय परिवादी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भागुराम, जाति जाट, उम्र–46 वर्ष, निवासी ग्राम चारणवासी थाना सदर झुंझुनूं ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उक्त एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि''मेरे सगे भांजे श्री मनोज कुमार की पत्नी श्रीमती मुनेश ने कस्बा बगड़ में सरस डेयरी बुथ चलाने हेतु नगरपालिका बगड़ से बुथ की एनओसी व विद्युत कनेक्शन के लिये सम्पर्क किया तो उसका काम नहीं हुआ तब उन्होने मुझे उक्त कार्य करवाने के लिये कहा जिस पर मैं सुनिता लिपिक नगरपालिका बगड़ से मिला तो उसने ईओ नवनीत कुमार से मिलकर मुझे 8000 रूपये रिश्वत के देने की कही। मै सुनिता लिपिक व नवनीत कुमार ईओ को रिश्वत देना नहीं चाहता और उन्हे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही करें।'' परिवादी ने अपने भांजे की पत्नी श्रीमती मुनेश की तरफ से एक अधिकार पत्र भी पेश कियां मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने ईओ नवनीत कुमार द्वारा स्वयं से सीधे तौर पर रिश्वत की मांग नहीं करना बताते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना तथा श्री नवनीत कुमार ईओ एवं श्रीमती सुनिता लिपिक नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं से पूर्व का कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–महावीर प्रसाद दिनांक 28.10.2022, एसडी–राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 28.10.22

रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चलाकर देखा तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री महावीर प्रसाद एवं श्री रामनिवास कानि. को मुनासिब हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु नगरपालिका बगड़ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के नगरपालिका से कुछ दूरी पर मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी श्री महावीर प्रसाद एवं श्री रामनिवास कानि. उपस्थित आये। कानि. ने टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि'' नगरपालिका बगड़ के पास पहूँचकर मैने टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके नगरपालिका से वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर दिया'' परिवादी ने बताया कि ''नगरपालिका बगड़ में मैने श्रीमती सुनिता लिपिक से मेरे कार्य के बारे में वार्ता की तो उसने तो ईओ के पास जाकर मेरे से 9000 रूपये देने की कही, जिस पर मैने ईओ से वार्ता करवाने की कही तो लिपिक ने ईओ से मेरी वार्ता करवाने से मना कर दिया'' इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बगड़ से रवाना होकर एसीबी चौकी सीकर पहूँचा। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्रीमती सुनिता लिपिक द्वारा परिवादी के बुथ के किराये के संबंध में करने तथा किराये के पेटे जमा होने वाली राशि के बारें में स्पष्ट वार्ता नहीं होने पर परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की कहने पर परिवादी ने दिनांक 31.10.2022 को कार्यालय के कर्मचारी को कस्बा बगड़ भिजवाने की कही। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.10.2022 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु बगड़ रवाना किया गया, परन्तु उस दिन आरोपिया श्रीमती सुनिता लिपिक के नगरपालिका में नहीं मिलने पर परिवादी की उससे वार्ता नहीं हो पाई। परिवादी ने दिनांक 01.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की कही, जिस पर दिनांक 01.11.2022 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु बगड़ रवाना किया गया। उसी दिन श्री रामनिवास कानि. ने उपस्थित कार्यालय होकर डिजिटल टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि'' कस्बा बगड़ पहूँचकर परिवादी से सम्पर्क किया तथा नगरपालिका बगड़ के पास पहूँचकर परिवादी को अलग–अलग दो बार टेप रिकार्डर चालू कर दे दिया तथा उसके नगरपालिका से बाहर आने पर टेप रिकार्डर बन्द कर वापिस प्राप्त कर लिया। श्री रामनिवास कानि. ने परिवादी श्री महावीर प्रसाद से श्रीमती सुनिता लिपिक की वार्ता होना तथा श्रीमती सुनिता लिपिक के द्वारा परिवादी के बुथ की एनओसी के

पेटे 9,500 रूपये जमा करने के पश्चात 3,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग किया जाना परिवादी ने श्री रामनिवास कानि. को बताया। परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी द्वारा श्री रामनिवास कानि. को बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा श्री रामनिवास कानि. को बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो उसने कल दिनांक 02.11.2022 को कस्बा बगड़ पहूँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही।

तत्पश्चात दिनांक 02.11.2022 को कार्यालय उप वन सरंक्षक से पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री मुनेश कुमार वरिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आने पर समय करीब 9.15 एएम पर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ मय श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक, मौतवीरान श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री मुनेश कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्रीमती श्रवणी महिला कानि. 141 पीएस उद्योगनगर सीकर से तलब किया जाकर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के सीकर से रवाना होकर कस्बा बगड़ से पूर्व बगड़–झुंझुनूं मुख्य सड़क पर पहूँचा जहॉ पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी अपने प्राईवेट वाहन के उपस्थित मिला। परिवादी ने दिनांक 01.11.20 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान अलग–अलग दो बार आरोपिया सुनिता से वार्ता किया जाना तथा वार्ता के पश्चात टेप रिकार्डर श्री रामनिवास को सुपुर्द करना बताया। परिवादी महावीर प्रसाद का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर प्रसाद ने हिदायत देने पर आरोपिया श्रीमती सुनिता लिपिक को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पॉच–पॉच सौ रूपयों के 6 नोट कुल 3,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9KT 037320
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7VN 581682
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2QA 794335
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BQ 235221
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5HQ 423443
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4MG 347501

फिनोफ्थलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री पंकज कुमार से परिवादी श्री महावीर प्रसाद की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 3,000 रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से परिवादी के पहने हुये शर्ट की सामने की बांई जेब सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिकिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी महावीर प्रसाद को सुपुर्द कर मुनासिब

हिदायत दी गई। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के साथ श्री रामनिवास कानि. को परिवादी के प्राईवेट वाहन में बैठाकर रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नगरपालिका बगड़ के पास पहूँचा, जहॉ परिवादी को नगरपालिका बगड़ की तरफ रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे–पीछे श्री रामनिवास कानि. को रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा बगड में नगरपालिका से झुंझुनूं की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर वाहनों में परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय करीब 12.08 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने अपने मोबाईल से कॉल कर तय ईशारे की सूचना दी, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी को साथ लेकर नगरपालिका बगड में प्रवेश किया तो कमरा नम्बर 6 के सामने खडे परिवादी महावीर प्रसाद ने कमरे में सामने खडी एक महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही सुनिताजी है जिन्होने इस कमरे के पास बना दूसरा कमरा नं. 05 में मेरे से 3000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर इस कमरे में आई है, इन्होने रूपयों को अपने हाथों से गिनकर पैसे आलमारी में रखे बस्ते के नीचे रखे है'' परिवादी ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करने पर टेप रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित रखा गया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त महिला को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड जिला झुंझुनूं होना बताते हुये कहा कि ''मैने इनसे रूपये नहीं मांगे है, इसने ऐसे ही दिये है'' मौके पर परिवादी ने आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''मेरे सगे भांजे की पत्नी ने कस्बा बगड़ में डेयरी बुथ संचालन हेतु एनओसी एवं विद्युत कनेक्शन हेतु प्रमाण पत्र लेने के लिये कहा जिस पर मै इनसे दिनांक 28.10.2022 एवं 01.11.2022 को मिला तो इन्होने दिनांक 01.11.2022 मेरे से 9500 रूपये जमा करवाकर मुझे एनओसी दे दी तथा विद्युत कनेक्शन हेतु प्रमाण पत्र बाद में दिलवाने की कही उस दिन इन्होने मेरे से 9500 रूपये के अलावा 3000 रूपये रिश्वत के देने की कही, जो मैने इनको आज दिये है'' रिश्वत के 3,000 रूपये किस बात के लिये है, पूछने पर आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन ने बताया कि ''मैने ईओ नवनीत कुमार से बात कर इनसे शुल्क जमा करवाकर लिये है'' रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन का बायां हाथ श्रीमती श्रवणी महिला कानि. नं. 141 पीएस उद्योगनगर सीकर से तथा दाहिना हाथ श्रीमती मंजू महिला कानि. एसीबी सीकर से कलाईयों के उपर से पकडे गये। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के मोबाईल नम्बर 8696835813 से श्री नवनीत कुमार ईओ नरगपालिका बगड़ के मोबाईल नम्बर 9414445156 पर समय 12.17 पीएम पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तथा मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप किया गया। वार्ता के दौरान आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन ने ईओ नवनीत कुमार से कहा कि ''सर वो थडी वाले पैसे 3000 रूपये आ गये है, तब ईओ ने कहा कि ''कौन से पैसे'' उक्त वार्ता करते–करते ही ईओ अचानक कमरे के सामने आ जाने पर वार्ता अधूरी रह गई। तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। कार्यवाही के दौरान श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई को एसीबी चौकी झुंझुनूं से जाप्ता लेकर आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के गांव भाटीवाड खाना तलाशी लेने हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश देने पर स्वतंत्र गवाह श्री

पंकज कुमार से लोहे की टेबल पर रखे फाईलों के बस्ते के नीचे रिश्वती राशि दिखाई दे रही है, को उठवाया गया तो पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई दिखाई दी। उक्त रूपयों को गवाह श्री पंकज कुमार से गिनवाया गया तो पॉच–पॉच सौ रूपयों के 6 नोट कुल 3,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 3,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में रिश्वती राशि जो आलमीरा में रखे फाईलों के बन्द बस्ते के नीचे रखने पर बरामद की गई, उस बस्ते से फाईलों को अलग किया जाकर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल बस्ते के कपडे को गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क के–1 एंव के–2 अंकित किया गया। कपडे का बस्ता बरंग स्लेटी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कपडें को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन को परिवादी के कार्य के बारे में पूछा तो बताया कि'' मै पट्टों से संबंधित कार्य देखती हूॅ, मैने कल दिनांक 01.11.2022 को इनके डेयरी बुथ लगाने के इनसे 9500 रूपये जमा कर एनओसी इनको दे दी थी तथा विद्युत कनेक्शन के लिये प्रमाण पत्र इनको देना शेष है'' मौके पर कार्यवाही के दौरान श्री नवनीत कुमार ईओ नगरपालिका बगड़ को तलब कर पूछा तो बताया कि'' मैने किसी से भी कोई रिश्वत की बात नहीं की है'' आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन को परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली प्राप्त कर बाद अवलोकन पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर ईओ श्री नवनीत कुमार से प्रमाणित करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। मूल पत्रावली श्री नवनीत कुमार ईओ को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर प्रसाद द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यांपन दिनांक 28.10.2022 को आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनू से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया तथा परिवादी श्री महावीर प्रसाद द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.11.2022 को आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनू से अलग–अलग दो बार हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। उपरोक्त तीनों का परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी महावीर प्रसाद ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनू की आवाजों की पहचान की। इसी दौरान श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई मय हमराहीयान के आरोपिया फायरमैन के निवास स्थान की बाद खाना तलाशी उपस्थित हुये।

तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन के मोबाईल नम्बर 8696835813 से श्री नवनीत कुमार ईओ नरगपालिका बगड़ के मोबाईल नम्बर 9414445156 पर दिनांक 02.11.2022 को समय 12.17 पीएम पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तथा मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप

रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर प्रसाद द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 02.11.2022 को आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनू से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''डी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी महावीर प्रसाद ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनू की आवाजों की पहचान की। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को मौके पर ही छोडा जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया सुनिता कुमारी फायरमैन व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर बगड़ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूॅचा। प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नी श्री सतवीरसिंह, जाति जाट, उम्र–30 वर्ष, निवासी हेमन्तपुरा भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा जिला झुंझुनूं हाल फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री महावीर प्रसाद से उसके सगे भांजे की पत्नी श्रीमती मुनेश कुमारी द्वारा कस्बा बगड़ में डेयरी बुथ संचालन के लिये नगरपालिका बगड़ से एनओसी जारी करने तथा विद्युत कनेक्शन लेने के लिये प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में दिनांक 01.11.2022 को परिवादी से 3000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 02.11.2022 को 3000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी फायरमैन नगरपालिका बगड़ जिला झुंझुनूं के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

3/11/22

(राजेश जांगिड़)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुनिता कुमारी, फायरमैन, नगरपालिका बगड़, जिला झुंझुनू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 428/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3711-15 दिनांक 03.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. नगरपालिका मण्डल, बगड़, जिला झुंझुनू।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

3/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।